भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *95

जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

शैक्षिक ऋण योजनाएं

*95. श्री नीरज शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए आवंटन का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और निजी बैंकों द्वारा वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में आज की तिथि तक संवितरित किए गए ऋणों का बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"शैक्षिक ऋण योजनाएं" के संबंध में श्री नीरज शेखर, सांसद द्वारा पूछे गए दिनांक 28.7.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *95 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश भर में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निम्नांकित शिक्षा ऋण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं -

मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस)

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 28 अप्रैल, 2001 के परिपत्र आरपीसीडी.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 83/06.12.05/2000-01के *माध्यम से* भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा गठित मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) को अपनाने का सलाह दिया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- यह योजना आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
- 7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि वे केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हों।
- 4 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।
- सभी मामलों में अध्ययन अवधि और इससे एक वर्ष अधिक तक अधिस्थगन अवधि दी जाती है।
- सभी ऋणों के लिए चुकौती अवधि (अधिस्थगन के बाद) 15 वर्ष तक उपलब्ध है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक मुक्त ऋण - शिक्षा ऋण योजना के संबंध में 12 अप्रैल, 2010 के परिपत्र आरपीसीडी.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं. 69/06.12.05/2009-10 *के माध्यम से* बैंकों यह सलाह दिया है कि वे 4 लाख रुपये तक के शैक्षिक ऋण के मामले में अनिवार्य रूप से संपार्श्विक सुरक्षा की माँग नहीं करे।

प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (पीएमवीएलएस)

भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.11.2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है, जो मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है ताकि भारत का कोई भी युवा वित्तीय बाधाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न हों। यह योजना उन छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है जो देश में शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- यह योजना उन छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करती है जो क्यूएचईआई में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं।
- 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए यह योजना 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। एक लाख तक नए छात्र को शिक्षा ऋण पर कोई अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज सहायता नहीं मिलने पर यह लाभ मिलेगा। ब्याज सहायता लाभ अधिस्थगन अवधि अर्थात, पाठ्यक्रम अवधि और इससे एक वर्ष अधिक के दौरान प्रदान किया जाता है।
- 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि को भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके।
- वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-2031 तक ब्याज सब्सिडी के लिए कुल परिव्यय 3,600 करोड़ रुपये है।

पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

इस योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में किया गया था ताकि योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सहायता के संदर्भ में उन पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके जिन्होंने एमईएलएस और हाल ही में शुभारंभ किए गए पीएमवीएलएस के अंतर्गत छात्र शिक्षा ऋण लिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर / तकनीकी कार्यक्रमों से पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे व्यावसायिक संस्थान/कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित विनियामकीय निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी उन छात्रों को दी जाती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है।
- पूर्ण ब्याज सहायता अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष) के दौरान प्रदान की जाती है।
- ब्याज सहायता का लाभ 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए है।

शिक्षा ऋण के लिए पीएम-यूएसपी ऋण गारंटी निधी योजना (सीजीएफएसईएल)

इस योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। सीजीएफएसईएल के अंतर्गत केंद्र सरकार बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तृतीय पक्ष की गारंटी के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के लिए गारंटी देती है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। यह परिवार की आय को बिना ध्यान में रखे हुए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है।
- यह निधि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट्री कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से चूक की गई राशि के 75% तक गारंटी कवर प्रदान करती है।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, पीएमवीएलएस, सीएसआईएस और सीजीएफएसईएल के लिए संयुक्त रूप से 1050 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ख): जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, 2024-25 और 2025-26 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और निजी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों का बैंक-वार और वर्षवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। तथापि, 2026-27 से अब तक की जानकारी वर्तमान में आरबीआई के पास उपलब्ध नहीं है।

राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *95 के उत्तर के भाग (b) में उल्लिखित अनुबंध

(राशि, करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs)^**	**बैंक**	**शिक्षा ऋण के तहत वितरित राशि**	
			वित्तीय वर्ष 2024-25	**वित्तीय वर्ष 2025-26***
1	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक**	2,860	2,871
2	बैंक ऑफ़ इंडिया		442	676
3	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र		353	293
4	केनरा बैंक		4,332	4,306
5	सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया		1,634	1,662
6	इंडियन बैंक		917	855
7	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक		404	459
8	पंजाब एंड सिंध बैंक		121	109
9	पंजाब नैशनल बैंक		1,756	1,761
10	भारतीय स्टेट बैंक		11,072	13,370
11	यूको बैंक		219	244
12	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया		4,778	4,274
13	एक्सिस बैंक लिमिटेड	**निजी क्षेत्र के बैंक**	1,888	1,795
14	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड		34	139
15	सीएसबी बैंक लिमिटेड		6	0
16	डीएसबी बैंक लिमिटेड		2	93
17	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड		15	14
18	फेडरल बैंक लिमिटेड		124	86
19	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड		161	198
20	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड		4,621	3,775
21	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड		421	364
22	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड		3,216	961
23	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड		139	119
24	कर्नाटक बैंक लिमिटेड		108	94
25	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड		34	37
26	नैनीताल बैंक लिमिटेड		16	21
27	आरबीएल बैंक लिमिटेड		15	18
28	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड		39	39
29	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड		37	30
30	यस बैंक लिमिटेड		381	0
31	शिनहान बैंक	**विदेशी बैंक**	103	269
32	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	**लघु वित्त बैंक**	1	0
33	ईएएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		1	0
34	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		1	0
35	यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		0	1
36	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड		2	1
	कुल		**40,253**	**38,934**

*** अनंतिम डेटा**

^ SCBs (RRBs को छोड़कर)
